64

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)
अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अनुदान हेतु मार्गदर्शिका

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 04/07/07

संख्या–2/व1–17/2006 42 राज्य सरकार के द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा विहित प्रपत्र में सामान्यतः प्रत्येक साल के मई माह में आमंत्रित किये जायेंगे :–

1. पात्रता :–

(i) भारतीय ऑलम्पिक संघ से मान्यताप्राप्त/भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित खेल विधा के राज्य खेल संघ इस अनुदान के पात्र होंगे ।

(ii) अनुदान हेतु खेल संघों को निम्नांकित पात्रता रखना आवश्यक होगा।

(क) सम्बन्धित राज्य संघ की कम से कम 20 जिला ईकाई हो।

(ख) राज्य खेल संघ या फेडरेशन विवादित नहीं हो।

फेडरेशन विवादित होने की स्थिति में भारतीय ऑलम्पिक संघ या भारत सरकार तथा राज्य संघ के विवादित होने की स्थिति में गैर विवादित फेडरेशन के द्वारा दिया जाने वाला मान्यता मान्य होगा।

(ग) राज्य खेल संघ का अपना बायलॉज हो तथा बायलॉज के अनुकूल निर्धारित समय पर चुनाव हुआ हो साथ ही संघ के राज्य जिला इकाई के पदाधिकारियों कार्यकारणी सदस्यों एवं मान्यता प्राप्त जिला इकाईयों का नाम घोषित हो।

(घ) संघ का बैंक एकाउन्ट हो तथा पैन नम्बर हो साथ ही आयकर रीर्टन भरा जाता हो।

(ड.) पूर्व में यदि अनुदान दिये गये हो तो उसकी उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को ससमय जमा किया गया हो।

(च) सम्बंधित संघ द्वारा वार्षिक खेल कार्यक्रम जारी किया जाता हो तथा उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती हो।

(छ) अनुदान हेतु दिये गये आवेदन में सम्बधित आयोजन का प्रस्तावित बजट संलग्न हो तथा याचित अनुदान से सम्बंधित प्रतियोगिता हेतु ऑलम्पिक, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण या फेडरेशन से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का विवरण अंकित होना अनिवार्य होगा।

2. अनुदान हेतु योग्य प्रतियोगिता :–

राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान अनुमान्य होगा किसी प्रकार के स्मृति , संगीत, आमंत्रण एवं गैर सरकारी टूर्नामेंट के लिए अनुदान देय नहीं होगा।

(i) राज्य प्रतियोगिता :– सम्बंधित खेल संघ के कैलेन्डर में निर्धारित कार्यक्रम सीनीयर, जुनीयर, सब जुनीयर, राज्य प्रतियोगिता के लिए।

(ii) राष्ट्रीय प्रतियोगिता :–सम्बंधित खेल संघ के कैलेन्डर में निर्धारित कार्यक्रम सीनीयर, जुनीयर सब जुनीयर राज्य प्रतियोगिता के लिए। सम्बंधित राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/या भारतीय ऑलम्पिक संघ के द्वारा प्रतियोगिता आवंटित हो तथा इसके लिए राज्य सरकार की भी सहमति प्राप्त हो।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगता:– भारत सरकार, भारतीय ऑलम्पिक संघ एवं सम्बंधित फेडरेशन द्वारा आवंटित हो तथा इसके लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली गयी हो।

3. अनुदान की अधिकतम सीमा :–

क्र0सं0	प्रतियोगिता का स्तर	सीनियर	जुनियर	सब जुनियर	अभ्युक्ति
01.	राज्यचैम्पियनशिप	20000	15000	10000	न्यूनतम 15 जिला की प्रतियोगिता

	(अन्तर जिला प्रतियोगिता)				आवश्यक पर्यवेक्षण जिला खेल पदाधिकारी
02.	राष्ट्रीय स्तर (नेशनल चैम्पियनशिप)/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/ अन्तर राज्य प्रतियोगिता	500000	300000	300000	न्यूनतम 20 राज्य की प्रतियोगिता आवश्यक पर्यवेक्षक– विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त
03.	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	100000	800000	500000	छ माह पूर्व आवेदन देना होगा। पर्यवेक्षक– विभाग

अन्यान्य

1. प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के पूर्व 50 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष 50 % की राशि प्रतियोगिता के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

2. प्रतियोगिता समाप्ति के एक माह के अन्दर व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (छाया प्रति अभिश्रव सहित) जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले संघ को आगे के लिए अनुदान हेतु आयोग्य कर दिया जायेगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

4. अनुदान संबंधित किसी प्रकार के अन्य नीति/शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय निर्धारित किये जाने पर पूर्व से आवेदित मामलों पर भी लागू होगा।

5. अनुदान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा गठित अनुदान समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस सम्बंध में विभागीय निर्णय अंतिम होगा।

6. इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10 % विकलांग खेल संघों/संस्था के लिए कर्णांकित रहेगा।

7. प्रतियोगिता सम्पन्न हो चुकने की स्थिति में प्रतियोगिता जिला/राज्य की सूची के साथ आयोजन संबंधी छायाचित्र एवं प्रेस कतरन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्रतियोगिता आवेदन समर्पित करने के बाद आयोजित होती है तो आयोजन पश्चात् प्रतिभागी जिला/राज्य की सूची आयोजन संबंधी छाया चित्र एवं समाचार पत्र का कतरन आदि ससमय विवरणी के साथ संलग्न करना होगा।

8. इस संबंध में निर्गत पूर्व के मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 851 / पटना, दिनांक: 04/07/07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 851 / पटना, दिनांक: 04/07/07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/ मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा०शि०/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा०शि०/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा०शि० को सूचनार्थ प्रेषित।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।